

L.M. 8804

(222)

No.1/20/2011-P&PW(E)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension  
Department of Pension & Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,  
New Delhi, the 16<sup>th</sup> December, 2011.

Exo. 23673

Office Memorandum

Sub: Revision of PPOs of pre-2006 family pensioners - meeting chaired by Secretary (Pension) on 3/11/11 - a model advertisement - regarding.


The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number, dated 15<sup>th</sup> November and 22<sup>nd</sup> November, 2011 circulating the minutes of the meeting concerning revision of Pension Payment Orders (PPOs) in respect of pre-2006 Pensioners, which was chaired by Secretary (Pension) on 3/11/11. It was decided, vide para 9 of the minutes, that the Department of Pension and PW would bring out a model advertisement spelling out the utility of the revision of PPO to the individual pensioner/family pensioner, which may be used by administrative Ministries/ Departments for eliciting responses from the pensioners/family pensioners belonging to them. It was also agreed that the advertisement shall also be posted on the web-site of respective Ministry/Department.

2. In pursuance of the minutes as indicated above, a copy each of Hindi and English versions of the model advertisement is enclosed. It is requested that the administrative Ministries/ Departments may consider publishing the advertisement in the leading newspapers in English and Indian languages so that maximum number of pensioners/family pensioners come to know about the benefits of getting their PPOs revised. It may also be ensured that the text of the advertisement is posted on the web-site of the Ministry/Department concerned.

*K.Mittal*  
(K.K. Mittal) 16/12/20  
Director  
Ph: 24624752

Ministries/Departments of the Government of India as per list enclosed

*AS*  
23/12  
*ESL/Sec*  
23/12/2011



संख्या.....

भारत सरकार/संघ शासित क्षेत्र.....की सरकार  
मंत्रालय.....

विभाग.....

ध्यानार्कषण:-.....मंत्रालय/विभाग के पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी

2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पहले से ही संशोधित की जा चुकी है तथा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशांसाओं के अनुसार 2008 एवं 2009 में बकाया अदा किया जा चुका है। यह नोटिस किया गया है कि कुछ मामलों में सरकार में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की संशोधित राशि को इंगित करने वाले नवीन पेंशन कागजात अभी तक नहीं मिले हैं।

2. ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यह उनके हित में है कि ऐसे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी, संशोधित जारी किए गए पेंशन कागजात प्राप्त करें, क्योंकि संशोधित कागजात सुनिश्चित करेंगे कि (क) बैंक द्वारा संशोधित पेंशन में कोई गलती नहीं है, (ख) वे 80/85/90/95/100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेंगे, (ग) जब भी भविष्य में पेंशन पुनः संशोधित होती है, संशोधित राशि का परिकलन करने में उन्हें कोई समस्या न हो, (घ) पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों सहित यदि कोई हो, तो पात्र कुटुम्ब पेंशनभोगी, को बिना किसी विलम्ब या उत्पीड़न के कुटुम्ब पेंशन मिले। उक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऐसे 2006 से पूर्व के पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी जिन्होंने अपने जारी संशोधित पेंशन कागजात (पी.पी.ओ.) प्राप्त नहीं किए हैं, को.....यथाशीघ्र निम्नलिखित सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष,

.....मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

भारत सरकार

(यदि एक पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को उपर्युक्त का पता न हो तो, इसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी, विशेष कक्ष, सी.पी.ए.ओ., त्रिकुट-II, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को भेजा जा सकता है)

विषय:- 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों को पेंशन कागजात (पी.पी.ओ.) का संशोधन।

1. पेंशनभोगी का नाम : .....
  2. जन्मतिथि : .....
  3. सेवानिवृत्ति की तारीख : .....
  4. पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख : .....
- (यदि आवेदन कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा किया गया हो)

